असंगठित क्षेत्र के कार्य योजना में आयोग का महत्व

डॉ. प्रतीक्षा पावक

मुख्य बिन्दू– *श्रमशक्ति, सिफारिशें, रोज़गार, प्रस्तावों, मजदूरी*

असंगठित क्षेत्र के उद्यमों के लिए राष्ट्रीय आयोग 2004 में स्थापित करना केन्द्र सरकार द्वारा की गयी। पहल थी ताकि असंगठित क्षेत्र की समस्याओं की गहराई से जांच की जा सके और इस क्षेत्र की स्थिति सुधारने के लिए जो श्रमशक्ति के लगभग 93 प्रतिशत को रोज़गार उपलब्ध कराता है, आवश्यक उपायों सम्बन्धी सिफारिशें की जा सकें। राष्ट्रीय आयोग को मुख्य रूप में निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए सिफारिशें करने का कार्य सौंपा गया–

- *ऐसे आवश्यक उपायों का सुझाव देना जो इन उद्यमों की उत्पादिता (Productivity) उन्नत करने में सहायक हो सकें और जिनके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर रोज़गार अवसर कायम किए जा सकें।*
- *अनौपचारिक क्षेत्र के लिए ऐसे श्रम कानूनों की सिफारिश करना जो श्रम अधिकारों के साथ युक्तिसंगत हों।*
- *अनौपचारिक क्षेत्र के लिए उपलब्ध सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना।*

आयोग ने असंगठित क्षेत्र के लिए निम्नलिखित कार्ययोजना की सिफारिश की असंगठित क्षेत्र के लिए सुरक्षात्मक उपाय इस सम्बन्ध में दो प्रकार के उपायों की सिफारिश की आवश्यकता है कार्य की न्यूनतम दशाएं सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित सिफारिश की गयीं न्यूनतम काम की बजाय कायम करने के प्रस्तावों के आठ घण्टे जिसमें आधे घण्टे का विराम प्रति सप्ताह एक दिन का सवेतन अवकाश असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिकों के लिए जिन पर न्यूनतम मजदूरी कानून लागू

नहीं होता, राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी कानून के आधीन लाने की व्यवस्था है।

- *उजरती काम की दर (Piece rate wage) समय अनुसार मजदूरी के बराबर स्त्रियों के काम के लिए पुरुषों के बराबर पगार।*
- *मज़दूरी दर में कटौती के लिए जुर्माने की व्यवस्था।*
- *असंगठित क्षेत्र को मजदूर संघ बनाने का अधिकार।*
- *सुरक्षा प्रबंध और दुर्घटना के लिए क्षतिपूर्ति।*
- *स्त्रियों की यौन–परेशानी से सुरक्षा।*
- *काम के स्थान पर बाल देखभाल और बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था।*

शोध–प्रपत्र

आयोग ने कृषि और गैर–कृषि श्रमिकों के लिए अलग–अलग दो व्यापक विधेयकों की सिफारिश की ताकि निम्नलिखित लाभ उपलब्ध कराए जा सकें जीवन बीमा स्वाभाविक मृत्यु के लिए 30,000 रुपये या दुर्घटना के कारण मृत्यु या सम्पूर्ण अयोग्यता (Total disability) के लिए 75,000 रुपये। स्वास्थ्य बीमा प्रत्येक श्रमिक या उसके परिवार के सदस्यों के लिए अस्पताल के खर्चे के लिए 15,000 रुपये प्रतिवर्ष या किसी बीमारी के लिए निर्दिष्ट अस्पतालों में 10,000 रुपये। वृद्धावस्था सुरक्षा गरीबी रेखा के नीचे सभी श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु होने पर 200 रुपये प्रतिमास की पेन्शन। अन्य श्रमिकों के लिए जो गरीबी रेखा के नीचे नहीं है, पूर्वोपायी कोष (Provident fund) का अधिकार।

इस प्रस्तावित योजना के लिए असंगठित क्षेत्र के 30 करोड़ श्रमिकों के लिए 1,095 रुपये प्रति श्रमिक प्रतिवर्ष लागत आने का अनुमान है। 2006–07 की बारिश कीमतों पर कृषि एवं गैर–कृषि दोनों प्रकार के श्रमिकों पर 33,950 करोड़ रुपये की कुल लागत उस समय ने के होगी जबकि सब श्रमिकों को इसके आधीन कर लिया जाएगा (19,400 करोड़ रुपये कृषि श्रमिकों के लिए ज्या और 13,950 करोड़ रुपये गैर–कृषि श्रमिकों के लिए)। जो श्रमिक गरीबी रेखा के नीचे हैं, उन्हें इसमें योगदान करने से छूट होगी और उनके भाग का समग्र योगदान केन्द्र सरकार उपलब्ध कराएगी और अन्य श्रमिकों को। रुपया

प्रतिदिन योगदान देना होगा और केन्द्र एवं राज्य सरकारें प्रत्येक। रुपये का योगदान करेंगी। यह मान्यता करते हुए कि अगले पांच वर्षों में सकल देशीय उत्पाद (जी.डी.पी.) की 8 प्रतिशत वृद्धि बनी रहेगी, इस योजना पर आरम्भ के वर्ष में जी.डी.पी. का 0.20 प्रतिशत खर्च होगा। यह बढ़ कर 2010–11 तक जी.डी. पी. का 0.48 प्रतिशत हो जाएगा जब तक सभी असंगठित श्रमिकों को इसके लाभ उपलब्ध होने की प्रत्याशा है। ख. सीमान्त और छोटे किसानों के लिए उपायों आयोग ने सिफारिश की कि 11वीं योजना की अवधि के दौरान, सरकार को छोटे तथा सीमान्त किसानों की ओर अपना ध्यान लक्षित करना चाहिए। सरकार को अपने प्राथमिकता कार्यों में विशेष रूप में निम्नलिखित को शामिल करना चाहिए क्षेत्र विशेष सिंचाई योजनाओं का विकास, फसल वसूली जोखिम को कम करने के उपाय, स्वसहायता समूहों को कायम करके किसानों को सिंचाई स्रोतों, आदानों एवं बाजार प्रबन्ध की ओर प्रेरित करना चाहिए, भू–धारण सुधार और सामूहिक खेती के लिए उचित उपाय करने चाहिए।

"त्वरित भूमि तथा जल–प्रबन्ध पर बल आयोग का विचार है कि वर्षापोषित क्षेत्रों में, वाटरशेड विकास कार्यक्रमों का विशेष महत्त्व है और इनका लाभ लागत अनुपात (Benefit&cost ration) अधिक है।"[1] लगभग 450 लाख हैक्टेयर भूमि पर वाटरशैड विकास कार्यक्रम का विस्तार हो चुका है और अभी 750 हैक्टेयर भूमि पर इसका विकास होना बाकी है। आयोग ने सिफारिश की है कि वाटरशैड प्रोग्राम को त्वरित किया जाए। इसके साथ–साथ वर्षापोषित क्षेत्र के कार्यक्रमों को भी बढ़ावा दिया जाए ताकि वर्षापोषित क्षेत्रों (Rainfed areas) में कृषि का पुनरुत्थान किया जा सके जिस पर ग्रामों के गरीब वर्गों की बड़ी संख्या निर्भर है और इसे तुरन्त प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

"सीमान्त और छोटे किसानों के लिए ऋण का प्रबन्ध आयोग यह सिफारिश करता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण के लिए तय किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों का संशोधन होना चाहिए और कृषि के लिए निर्धारित 18 प्रतिशत के कोटे से 10 प्रतिशत को ऐसे किसानों में वितरित करने का निश्चय करना चाहिए जिनकी जोत का आकार हैक्टेयर से कम है।"[2]

इसके अतिरिक्त सीमान्त और छोटे किसानों का 20–40 प्रतिशत औपचारिक वित्तीय क्षेत्र से इस कारण बाहर कर दिया जाता है क्योंकि उनके पास भूमि का पट्टा और स्वामित्व दस्तावेजों का अभाव है। **''आयोग ने सिफारिश की है इन किसानों को पंचायतों द्वारा जारी प्रमाणपत्रों के अनुसार ऋण दे देने चाहिएं। इनके द्वारा वापसी में चूक के जोखिम को कम करने के लिए आयोग ने सिफारिश की है''**[3] कि सरकार को नबार्ड (Nabard) में एक ऋण गारंटी कोष (Credit Guarantee Fund) स्थापित करना चाहिए जैसा कि व्यष्टि, छोटे और मध्यम उद्यमों के ऋणों की गारंटी के लिए मंत्रालय ने स्थापित किया है, ताकि ये किसान उस कोष के आधीन लाए जाएं। किसान ऋण राहत आयोग 31 जिलों में जो चार राज्यों आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में है, सरकार ने उन्हें संकट से राहत देने के लिए ऋण राहत का एक विशेष पैकेज आरम्भ किया। अन्य राज्यों की भी सहायता करने के लिए आयोग ने किसान ऋण सहत आयोग स्थापित करने की सिफारिश की है। इस राहत पैकेज का हिस्सा होने के कारण केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को 75–25 के आधार पर राज्यीय आयोगों को सहायता प्रदान कर सकती है। आयोग ने विस्तृत रूप में ऐसे उपाय करने की सिफारिश की है जो व्यष्टि (Micro) और छोटे उद्यमों को बैंक ऋण की पहुंच को उन्नत करें।

''आज प्राथमिकता क्षेत्र के लक्ष्य इस प्रकार हैं कृषि 18 प्रतिशत कमजोर वर्ग 10 प्रतिशत और अन्य जिनमें व्यष्टि और छोटे उद्यम शामिल हैं 12 प्रतिशत। छोटे और व्यष्टि उद्यमों के लिए कोई विशेष लक्ष्य नहीं हैं।''[4] आयोग ने सिफारिश की कि व्यष्टि और छोटे उद्यमों के लिए स्पष्ट रूप में 10 प्रतिशत का लक्ष्य रखना होगा। इसके अन्तर्गत व्यष्टि उद्यमों के लिए जिनमें 5 लाख रुपये तक पूंजी निवेश हो रहा है. 4 प्रतिशत का लक्ष्य कर देना चाहिए। चूंकि कृषि का प्राथमिकता क्षेत्र में कोटा 18 प्रतिशत है (जिसमें से 10 प्रतिशत व्यष्टि और छोटे उद्यमों के लिए रिजर्व हो जाएगा), इसके अतिरिक्त 10 प्रतिशत और व्यष्टि और छोटे उद्यमों को देने की सिफारिश की गयी है। फिर भी प्राथमिकता क्षेत्र के 40 प्रतिशत में 12 प्रतिशत शेष रह जाएगा, जो आयोग के विचार में सामाजिक–आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए आबंटित कर देना चाहिए ताकि वे गृहनिर्माण, शिक्षा व्यवसाय आदि के

लिए 5 लाख रुपये को अधिकतम सीमा तक ऋण प्राप्त कर सकें। वस्था

आयोग ने असंगठित क्षेत्र के विकास के लिए एक एजेन्सी कायम करने की सिफारिश की है जिसे असंगठित क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय कोष का नाम दिया जाए और इसके लिए आरंभिक आरक्षित निधि 5,000 करोड़ रुपये होगी और इसके लिए केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक वित्तीय क्षेत्र के संस्थान और अन्य सरकारी एजेन्सियाँ योगदान देंगी। इस कोष का लक्षित समूह व्यष्टि उद्यम (Micro&enterprises) होंगे जिनमें 5 लाख रुपये से कम निवेश किया गया है। वे देश में छोटे उद्यमों का 94 प्रतिशत हैं परन्तु उन्हें शुद्ध बैंक उधार का केवल 2 प्रतिशत प्राप्त होता है. इसके बावजूद कि वे 7 करोड़ लोगों को रोजगार मुहैया कराते हैं और औद्योगिक उत्पादन में 30 प्रतिशत योगदान कर देते हैं।

"असंगठित क्षेत्र के लिए विकास केन्द्रों को प्रोन्नत करने की सिफारिश करता है, जो विकास समूहों के विकास के लिए साझी आधारसंरचना, सेवा केन्द्र आदि स्थापित किए जाएंगे जिनका उद्देश्य वर्तमान विकास समूहों का स्तर उन्नत कर जिन्हें अगले स्तर पर पहुंचाया जाएगा।"[5] आयोग का विश्वास है कि यदि विकास समूह एक बार विकसित कर लिए जाएं, तो उनका ग्राम क्षेत्र के उत्पादन और रोजगार पर गुणक प्रभाव (Multiplier effect) होगा। आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि विकास केन्द्रों को वे सभी प्रोत्साहन मिलने चाहिए जो इस समय विशेष आर्थिक क्षेत्रों को दिए जा रहे हैं।

स्वरोजगार द्वारा रोज़गार का विस्तार करना आयोग ने सिफारिश की है कि स्वरोजगार योजनाओं के आधीन रोजगार के लक्ष्य को 20 लाख प्रतिवर्ष की अपेक्षा, जैसा कि ग्यारहवीं योजना में प्रस्ताव किया है, बढ़ाकर 50 लाख प्रतिवर्ष कर देना चाहिए। राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी प्रोग्राम को सर्वव्यापक बनाना और इसे मजबूत करनो आयोग ने सिफारिश की है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी प्रोग्राम का विस्तार कर इसे देशभर में सर्वव्यापक बनाया। जाए। आज यह प्रोग्राम देश के 330 जिलों में चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आयोग यह भी सिफारिश करता है कि रोजगार के क्षेत्र में प्रति परिवार पर 100 दिन की प्रतिवर्ष लगाई गयी अधितम सीमा हटा देनी चाहिए और यह

प्रोग्राम मांग–आधारित होना चाहिए, जैसा कि महाराष्ट्र रोजगार गारंटी योजना के आधीन है।

कौशल विकास पहल के लिए 550 करोड़ रुपये की पहले से किए जा रहे वर्तमान कार्यक्रम का जायजा लिया। इस योजना का उद्देश्य स्कूल छोड़ने वालों, श्रमिकों, आई.टी.आई. के स्नातकों की रोज़गार योग्यता बढ़ाना है। औसतन, एक व्यक्ति के प्रशिक्षण पर 5,000 रुपये खर्च किए जा रहे हैं और इस योजना के अधीन प्रशिक्षित व्यक्तियों को प्रमाण–पत्र दिए जाते हैं।

आयोग ने सिफारिश की है कि चाहे यह योजना सही दिशा में कदम है, इसके विस्तार के लिए नौकरी–पर– प्रशिक्षण (On the job training) और रोज़गार आश्वासन प्रोग्राम चलाया जाना चाहिए और इसके लिए प्रत्येक नियोजक को एक–समय 5,000 रुपये का भुगतान करना चाहिए जो किसी काम कर रहे श्रमिक को एक साल भर प्रशिक्षण देकर उसकी कुशलता को बढ़ाकर उसे एक प्रशिक्षित श्रमिक बना दे।

संदर्भ सूची

1. आर. के निगम, समाजशास्त्र के आयाम, अंकूर प्रकाशन कानपुर, संस्करण 2003, पृ. 28
2. वहीं, पृ. 32
3. वहीं, पृ. 35
4. वहीं, पृ. 38
5. वहीं, पृ. 45

Contributors Details:

डॉ. प्रतीक्षा पावक